गांवों के संग

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण स. 258/2018 (2018/00536)
उनवान

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021
कैम्प- कोहडा

1. हगामीलाल पुत्र स्व.गंगाराम
2. दामोदर पुत्र गंगाराम
3. भीमराज पुत्र गंगाराम

समस्त जाति रेगर निवासीगण कोहडा तह.केकडी जिला अजमेर

––वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

––प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा88,188,209 राज.काश्तकारी अधि.
एंव धारा 136राज.भू.राज.अधि.

–:: आदेश ::–

दिनांक 11.11.2021

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोहडा तहसील केकडी मे वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता सं.		खसरा नम्बर		रकबा		किस्म
नया	पुराना	नया	पुराना	नया	पुराना	
1	113 व 1	24	4 मि.	8.76	3.58 है. मेंसे 2 बीघा	बारानी

वाद वर्णित आराजीयात जो वादीगण के कब्जे व स्वामित्व व एकाधिकार में चली आ रही है। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता गगाराम पुत्र हरदेव जाति रेगर के नाम दिनांक 30.11.75 को कमाक 224/26 राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज हुई थी। तभी से ही उक्त आराजीयात पर वादीगण के पिता के समय से वादीगण के तन्हा कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादीगण के पिता की मृत्यु 28.2.1998 को होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व उसकी माता बदाम देवी के नाम कम स. 82 खाता स. 257 दिनांक 11.9.1998 को राजस्व रिकॉर्ड में मृतक गंगाराम के बजाय उसके विधिक वारिसान गैर खातेदार काश्तकार के रूप मे इन्द्राज हुयी तभी से ही उक्त आराजीयात पर वादीगण द्वारा फसल काश्त कर उक्त आराजीयात को अपने उपयोग,उपभोग में लेते आरहे है। उक्त आराजीयात जमाबन्दी की नकल वादीगण द्वारा दिनांक 28.3.18 को लिये जाने पर जानकारी हुई की। उक्त आराजीयात राजस्व अधिकारीयों की भूलवशं सिवायचक के रूप में नये खसरा नम्बर 24 रकबा 8.76 है. में दर्ज हो गयी है। वाद पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 28.3.2018 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ तथा द्वितीय बार दिनांक 25.5.2018 को उत्पन्न हुआ तब वाद प्रस्तुत किया है। अतः वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ डिकी जारी की जावें। राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता कायम कर लगान मुकरर किया जावें। प्रतिवादी [illegible] कर्मचारियों को पाबन्द किया जावें की वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात [illegible] बेदखल नहीं करें न ही उसके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करें।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी ने जवाब में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर कोहडा में जवाब प्रस्तुत किया जिसकें अनुसार पुराना खसरा नम्बर 4 मि. में रकबा 2 बीघा गंगाराम वल्द हरदेव कोम रेगर सा.देह गेर खातेदार नामान्तकरण स. 113 दिनांक 1.6.1985 से दर्ज हुयी है। उक्त 4 मि. के नये खसरा नम्बर जर्ये मिलान क्षैत्रफल के खसरा नम्बर 20, 21, 23, 24, बने है। उक्त खसरा नम्बर 24 रकबा 8.76 है. में से 0.32 है. पर गंगाराम वल्द हरदेव के वारिसान हगांमी लाल , दामोदर ,भीमराज,पि. हरदेव रेगर का कब्जा काश्त है। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की है।

पत्रावली आज शिविर के दोरान पेश हुई । वादीगण स्वंय उपस्थित । पेरोकार सरकार तहसीलदार केकडी उपस्थित । सुना गया , वादीगण ने वाद पत्र में अंकित कथनों को दोहराया तथा दावा डिकी करने की प्रार्थना की । पेराकार सरकार तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब के कथनों को दोहराया तथा इन्द्राज दुरूस्त करनें में सहमति जाहिर की।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,व 209 की परिधि में नहीं आता है। अतः उक्त धाराओं के तहत वादीगण को अनुतोंष दिया जाना संभव नहीं है। वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के तहत दुरूस्ती योग्य होने से स्वीकार किया जाना योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं । तहसीलदार केकडी ग्राम कोहडा की जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 1 खसरा नम्बर 24 रकबा 8.7600 बारानी प्रथम में से 0.32 है. पर गंगाराम वल्द हरदेव के वारिसान हगामीलाल, दामोदर, भीमराज पि. हरदेव रेगर का जहां कब्जा काश्त है वहां गैर खातेदार के रूप में नामान्तरकण स. 113 दिनांक 1.6.1985 के तहत दुरूस्ती की जाकर में राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

आदेश प्रशासन गांवो के संग 2021 को मजमें आम में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:22:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner